कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री जे0 के0 टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, 84 / 4, फजलगंज, कानपुर।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**003 / 14, 08.01.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, प्रार्थी फर्म के वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री जे0 के0 टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, 84 / 4, फजलगंज, कानपुर द्वारा दिनांक 08.01.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' ट्रैक्टर-ट्राली के टायर एवं ट्यूब'' पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रम संख्या-125 पर जो प्रविष्टि अंकित है उससे स्पष्ट है कि ट्रैक्टर-ट्राली के attachments और parts उक्त प्रविष्टि से आच्छादित हैं। वस्तुत: ट्रैक्टर-ट्राली के टायर व ट्यूब उसके पार्ट्स हैं। अत: ट्रैक्टर-ट्राली के पार्ट्स के रूप में ट्रैक्टर-ट्राली के टायर व ट्यूब उक्त प्रविष्टि संख्या-125 से आच्छादित होने के कारण 4% की दर से करयोग्य होने चाहिए। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में प्रार्थी द्वारा 12.5% + 3% की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए कर व रिटर्न जमा किया जा रहा है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-3012, दिनांक 07.02.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है ट्रैक्टर-ट्राली के टायर एवं ट्यूब ट्रैक्टर-ट्राली के पार्ट नहीं हैं। अत: यह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-125 के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। ट्रैक्टर-ट्राली के टायर व ट्यूब चूँकि अवर्गीकृत हैं अत: इन पर कर की दर 12.5% + अतिरिक्त कर 3% अर्थात कुल 15.5% है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर की आख्या से सहमति व्यक्त हुए कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-125 पर Tractors, Tractor trolley Harvesters & attachments & parts thereof ; Tractor tyres and tubes. अंकित किया गया है। इस प्रविष्टि में ट्रैक्टर-ट्राली के टायर्स एवं ट्यूब्स का उल्लेख नहीं है। वस्तुत: ट्रैक्टर के टायर्स एवं ट्यूब्स विशेष रूप से ट्रैक्टर में प्रयोग करने के लिए ही बनाये जाते हैं। ट्रैक्टर्स टायर्स एवं ट्यूब्स के निर्माण में एक अलग प्रकार की विशिष्टता होती है जिसके कारण इन टायर्स एवं ट्यूब्स को ट्रैक्टर के अलावा किसी अन्य व्हीकल में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जबकि ट्रैक्टर-ट्राली के लिए विशेष रूप से किसी टायर एवं ट्यूब का निर्माण नहीं किया जाता है। छोटे ट्रकों एवं मध्यम आकार के कामर्शियल व्हीकल्स में प्रयोग होने वाले टायर्स एवं ट्यूब्स को ट्रैक्टर-ट्राली में भी प्रयोग

सर्वश्री जे0 के0 टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0/ प्रा0 पत्र सं0-003 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-2

किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप में किसानों के उपयोग के लिए निर्मित ट्रैक्टर-ट्राली में निर्माण लागत कम करने के लिए ट्रकों से उतारे गये सेकेन्ड हैण्ड टायर्स एवं ट्यूब्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार विशिष्ट रूप से ट्रैक्टर-ट्राली के लिए निर्मित न होने के कारण इसमें प्रयुक्त होने वाले टायर्स एवं ट्यूब्स को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-125 पर अंकित प्रविष्टि में उल्लिखित नहीं किया गया है। इसी प्रकार टायर एवं ट्यूब को किसी भी व्हीकल / वाहन के पार्ट्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता है जिसके कारण ट्रैक्टर-ट्राली में प्रयुक्त टायर एवं ट्यूब्स को भी उसका पार्ट्स नहीं माना जा सकता है। तथा तकनीकी रूप से ऐसा होता भी नहीं है। इसलिए पार्ट्स न होने के कारण ट्रैक्टर-ट्राली में प्रयुक्त टायर एवं ट्यूब्स को तदनुसार करदेय नहीं माना जा सकता।

ट्रैक्टर-ट्राली के टायर एवं ट्यूब उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार 3% अतिरिक्त कर की दर से करदेय होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से कर व रिटर्न जमा किया जा रहा है अत: कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रोसीडिंग पेडिंग होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधान के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा रिटर्न व कर नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के आलोक में रिटर्न व कर दाखिल होने के कारण प्रकरण में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन मानी जायेगी। अत: प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है जिसके कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 मार्च, 2014

ह0 / 12.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।